International Journal of Applied Research 2018; 4(1): 513-515

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2018; 4(1): 513-515
www.allresearchjournal.com
Received: 23-11-2017
Accepted: 25-12-2017

डॉ० सुशील कुमार चौधरी
स0 प्रा0 (राजनीति विज्ञान)
ज0 ना0 ब्र0 आ0 संस्कृत महाविद्यालय, लगमारामभद्रपुर, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० सुशील कुमार चौधरी
स0 प्रा0 (राजनीति विज्ञान)
ज0 ना0 ब्र0 आ0 संस्कृत महाविद्यालय, लगमारामभद्रपुर, दरभंगा, बिहार, भारत

मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य की उपादेयता

डॉ० सुशील कुमार चौधरी

सारांशः
वर्त्तमान समय में मानवाधिकार विषय बहुचर्चित और लोकप्रिय हो गया है। प्राचीन समयों में जहाँ दास, स्त्री एवं शुद्र वगैरह अधिकारों से वंचित थे, उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार यहाँ तक कि मतदान से भी बिल्कुल अलग रखा गया था। वही आज दास, औरत–मर्द, वंश, लिंग, भाषा, मजहब, जाति, राष्ट्रीयता या अन्य किसी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। [1]
सचमुच इस भावना का जन्म पृथ्वी पर नैतिक रूप से मनुष्य के विकास के साथ ही हुआ। सर्वप्रथम 1215 ई0 में ब्रिटेन ने (मैग्नाकार्टा) महान घोषणा पत्र प्रकाशित किया। सन् 1676ई0 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम बनाया तथा 1689 में अधिकार–पत्र का अधिनियम पारित किया। [2] लेकिन कानूनी तौर पर मानवीय अधिकारों की भावना का जन्म द्वितीय महायुद्ध के पश्चात हुआ, क्योंकि गरिमा के बिना न तो जीवन–यापन ही सम्भव था और न मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति का ही विकास कर सकता था। इसके साथ ही दूसरों का शोषण करके अपना प्रभुत्व बढ़ाना भी मानव की एक सहज वृत्ति रही है। [3] इसलिए अत्याचार और अनाचार के विरूद्ध संघर्ष की कहानी भी संदियों पुरानी है। विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलनों–बर्लिन कॉंग्रेस, बूसेल्स सम्मेलन, हेग सम्मेलन (1899 तथा 1907ई0) में सामूहिक रूप से राष्ट्रसंघ ने मानवाधिकारों पर बहुत बल दिया। द्वितीय महायुद्ध की भयंकरता ने विश्व को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि मानवता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा हेतु दृढ विधि अवश्य होनी चाहिए। विश्व के प्रमुख नेता नहीं चाहते थे कि किसी भी राष्ट्र के प्रति अन्याय किया जाय या किसी भी राष्ट्र के अधिकारों का हनन किया जाय। इस विचार धारा को अटलांटिक चार्टर सन् 1941 तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की सन् 1942 की घोषणा से बल प्राप्त हुआ। [4] मूलभूत मानवीय अधिकारों में मानव के गौरव तथा मूल्य में सबों को समान अधिकार पुनः स्वीकृत किया गया। इस प्रकार मानवाधिकार अर्न्तराष्ट्रीय विधि की विषय–वस्तु हो गई।
18वीं और 19वीं सदी में ये अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं के नाम से जाने जाते थे। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध (1914–18) के बाद यूरोप के कई देश तानाशाही की ओर अग्रसर हो गए जिसका उग्ररूप इटली में फाँसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद के रूप में देखा गया। [5] जिसमें देशों ने दमन और हिंसा का सहारा लिया। इन देशों में हजारों लाखों को बिना मुकदमा अलाढ़ नजरबंदी शिविरों में रखा गया और यातनाएँ दी गई।
नाजियों ने यहूदियों पर बेहद अत्याचार किए। द्वितीय महायुद्ध के दौरान मानवाधिकारों को बेरहमी से पैरों तले रौदा गया। अतएव 1946 ई0 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा श्रीमती ऐलीनार रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। [6] 10 दिसम्बर 1948 ई0 को यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असेम्बली ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया। इस ऐतिहासिक कार्य के बाद ही असेम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों अथवा प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना, विशेषतः स्कूलों और अन्य शिक्षण–संस्थाओं में इसके प्रचार, प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें।
इसी घोषणा का सरकारी पाठ संयुक्त राष्ट्रों की पाँच भाषाओं–अंग्रेजी, चीनी, फ्राँसीसी, रूसी और स्पेनिश। जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।

प्रस्तावनाः
मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविछिन्न अधिकारों की स्वीकृति ही विश्वशान्ति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है।
मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ही ऐसे बर्बर कार्य हुए जिनसे मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया, चूँकि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आजादी तक भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी।
अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरूद्ध लोगों के विद्रोह करने के लिए मजबूर नहीं हो जाना है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है।
राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना जरूरी है।
बुनियादी मानव अधिकारों में, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता में नर–नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास को अधिकार–पत्र में दुहराया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाय।
संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानव–अधिकारों और बुनियादी आजादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे।
इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आजादियों के

प्रति सम्मान की भावना जागृत हो, और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय उपाय किये जाय जिनसे सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौम और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन करावे। [8]

अनु0–1: सभी मनुष्यों को जन्मजात समानता, स्वतंत्रता और परस्पर भाई चारे के भाव से बर्ताव।

अनु0–2: सभी नागरिकों को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार–प्रणाली, किसी खास समाज या देश में जन्म, सम्पत्ति या किसी अन्य प्रकार की मर्यादा के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो, या स्वशासन रहित या परिमित प्रभुसत्ता वाला हो, उस देश या प्रदेश की राजनैतिक, क्षेत्रीय या अर्न्तराष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहाँ के निवासियों के प्रति कोई भेद नही रखा जाएगा।

अनु0–3: प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनु0–4: कोई भी गुलामी अर्थात गुलामी प्रथा या दासप्रथा की हालत में नहीं रखा जाएगा। इनका व्यापार निषिद्ध होगा।

अनु0–5: किसी को भी शारीरिक यातना–न दी जाएगी और न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा।

अनु0–6: हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है।

अनु0–7: कानून की नजर में सभी को बिना किसी भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करेगा। अतिक्रमण की स्थिति में उसके विरूद्ध समान संरक्षण का अधिकार।

अनु0–8: सभी को संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में समुचित राष्ट्रीय अदालतों की कारगर सहायता पाने का हक।

अनु0–9: किसी को भी मनमाने ढ़ंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश–निष्कासित न किया जाएगा।

अनु0–10: सभी नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के निश्चय करने के मामले में उनपर आरोपित फौजदारी के किसी मामले में उनकी सुनवाई न्यायोचित और सार्वजनिक रूप से निरपेक्ष और निष्पक्ष अदालत द्वारा हो।

अनु0–11: (A) प्रत्येक व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध हो।
(B) अपराधी को अपराध के समय प्रचलित राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही दण्ड दिया जा सकता है।

अनु0–12: किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। हस्तक्षेप की स्थिति में कानूनी सुरक्षा की व्यवस्था।

अनु0–13: (A) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सीमाओं के अन्दर स्वतंत्रतापूर्वक आने–जाने और बसने का अधिकार।
(B) प्रत्येक व्यक्ति को अपने या पराये किसी भी देश को छोड़ने और वापस आने का अधिकार।

अनु0–14: (A) प्रत्येक व्यक्ति को सताये जाने पर दूसरे देशों में शरण लेने और रहने का अधिकार।
(B) इस अधिकार का लाभ गैर–राजनीतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धान्तों के विरूद्ध कार्यो में नहीं मिलेगा।

अनु0–15: (A) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता का अधिकार।
(B) किसी को भी मनमानी ढ़ंग से नागरिकता से वचित नहीं किया जाएगा और न नागरिकता परिवर्तन पर रोक लगाएगा।

अनु0–16: (A) बालिग स्त्री–पुरुषों को बिना किसी जाति राष्ट्रीयता या धर्म के विरूद्ध आपस में विवाह करने और विवाह–विच्छेद का एक समान अधिकार।
(B) स्त्री–पुरुषों की पूर्ण सहमति पर ही विवाह हो सकेगा।
(C) परिवार को समाज तथा राज्य द्वारा संरक्षण पाने का अधिकार है।

अनु0–17: (A) प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ मिलकर या अकेले सम्पत्ति रखने का अधिकार।
(B) किसी को भी मनमानी ढ़ंग से अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनु0–18: प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास या उपासना का स्वतंत्रतापूर्वक अधिकार।

अनु0–19: विचार अभिव्यक्ति के अन्तर्गत बिना किसी हस्तक्षेप के कोई राय रखना, किसी सूचना और धारणा का अन्वेषण, ग्रहण आदि सम्मिलित है।

अनु0–20: (A) प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण सभा करने या समिति बनाने का अधिकार।
(B) किसी को भी किसी संस्था का या सदस्य बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अनु0–21: (A) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी करना।
(B) प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने का समान अवसर।
(C) सरकार की सत्ता का आधार जनता की इच्छा होगी। जिसका निर्णय जनता चुनावों द्वारा करेंगे।

अनु0–22: प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर/तथा समान सामाजिक सुरक्षा का अधिकार/ इसके साथ ही आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का एक समान अवसर।

अनु0–23: (A) प्रत्येक व्यक्ति को अपने इच्छानुसार रोजगार प्राप्त करने, काम करने और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है।
(B) प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेद–विभेद के समान कार्य के लिए समान मजदूरी पाने का अधिकार।
(C) सभी व्यक्ति को काम के अनुसार उचित पारिश्रमिक जो सम्मानजनक और आजीविका के लिए पर्याप्त हो।

अनु0–24: प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार। इसके अन्तर्गत काम के घंटों का निर्धारण और समयानुसार मजदूरी सहित छुट्टी।

अनु0–25: (A) प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के अनुसार जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार/इसके अनुसार मानव की न्यूनतम आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ आवश्यक है। इसके साथ ही सभी को बेकारी, बीमारी, असमर्थता, वैधव्य बुढ़ापे आदि परिस्थिति में सुरक्षा।
(B) जच्चा और बच्चा को खास सहायता और सुविधा का हक। बच्चा विवाहिता व अविवाहिता से जन्मा हो लेकिन एक समान संरक्षण की व्यवस्था।

अनु0–26: (A) प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से मिलेगी। इसके साथ ही टेक्निकल, यांत्रिक और पेशों संबंधी शिक्षा प्राप्त होगी। इसके अलावा योग्यतानुसार समान रूप से उच्चतर शिक्षा उपलब्ध होगी।
(B) शिक्षा का उद्देश्य होगा, मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान/इसके द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास और शान्ति बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघों का प्रयास।
(C) माता–पिता को अपने बच्चों को किस किस्म की शिक्षा देंगे इसके लिए स्वंतत्र होंगे।

अनु0–27: (A) प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं, का आनन्द लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का हक है।
(B) प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसी वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का अधिकार है, जिसका रचयिता वह स्वयं हो।

अनु0–28: प्रत्येक व्यक्ति को चार्टर के अनुसार सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्राप्त करने का अधिकार।

अनु0–29: (A) प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्त्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो।
(B) प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग कानून की सीमा के अन्दर ही करेगा, जिससे कि दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्ण आदर मिल सके।
(C) इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त विरूद्ध न हों।

अनु0–30: इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाना चाएिह जिससे यह प्रतीत हो कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न से संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है, जिसका उद्देश्य यहाँ बताये गये अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो।
जहाँ तक कर्त्तव्य का प्रश्न है? यह मानव का नैतिक दायित्व है जो वह राज्य के प्रति या अन्य लोगों के साथ निर्वाह करता है। इसलिए हमें अपने अधिकारों के प्रयोग के दौरान हमें सजग रहना पड़ता है कि इनसे दूसरों के अधिकारों में किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 4 में नवीन (IVA) जोड़ा गया जिनके तहत नागरिकों को निम्न कर्त्तव्य दिये गये।

1. संविधान का पालन करना, उसके आदर्शो सिद्धान्तों तथा संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति आदर भाव दिखाना।
2. स्वतंत्रता–संग्राम के दौरान जिन महत्तम आदर्शो को अपनाकर काम किया गया था और जिनसे प्रेरणा मिली थी, उनपर चलते रहना।
3. देश की सार्वभौमिकता, एकता तथा अखण्डता में विश्वास करना तथा रक्षा करना।
4. देश की रक्षा करना तथा आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
5. धर्म, भाषा, प्रदेश तथा वर्ग पर आधारित भेदभावों की समाप्ति के लिए भारत के सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना।
6. अपनी संस्कृति की सम्पदा परम्परा का सम्मान करना तथा उसे सुरक्षित करना।
7. वन, झील, नदी इत्यादि प्राकृतिक वातावरण को उन्नत करना और उनकी सुरक्षा तथा सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रहना।
10. राष्ट्र के निरन्तर विकास के लिए व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करना।
11. 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना।

निष्कर्ष

मानवाधिकार एवं कर्त्तव्य में अटूट सम्बन्ध है जो एक का अधिकार है, वही, दूसरे व्यक्ति, समाज व राज्य का कर्त्तव्य है। इसलिए इनसे जुड़कर दो व्यक्ति समाज व राज्य का कल्याण व उन्नति सम्भव है।

संदर्भ ग्रन्थः

1. भारतीय संविधान के भाग–III के अनु0–14–18 तक
2. ब्रिटिश मैग्नाकारी 1215 ई0, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम 1676ई0
3. अधिकार–पत्र का अधिनियम 1689ई0
4. भारतीय संविधान के भाग–ण्ण् के अनु0–23–24
5. संयुक्त राष्ट्रसंघ की 1942 का घोषणा–पत्र।
6. इटली में फाँसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद का अमानुषिक रूप।
7. U.N.O में 1946ई0 में मानवधिकार आयोग की स्थापना।
8. मानवाधिकार आयोग की प्रस्तावना।
9. मानवाधिकार आयोग की अनु0–01 से 30 तक का वर्णन।
10. भारतीय संविधान के भाग 04 का अनु0–51।।